राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2)

क्रमांकः प 13(1)साप्र/2/15 **जयपुर, दिनांक : 25-06-2021**

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर

विषयः– राजकीय आवास हेतु आवेदन एवं आवंटन की प्रकिया को ऑनलाइन करने बाबत्।

सदंर्भः– इस विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2021 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजकीय आवास आवंटन हेतु जिन अधिकारियो/कर्मचारियों ने सामान्य प्रशासन विभाग में आवेदन किया हुआ हैं उन्हे पुन आवेदन करने हेतु पूर्व में 1 माह का समय दिया गया था। उक्त अवधि दिनांक 18.03.2021 को समाप्त हो गयी थी।

इसी क्रम पुनः लेख है कि राजकीय आवास के इच्छुक पूर्व आवेदकों को पुन आवेदन करने हेतु दिनांक 01.07.2021 से 1 माह का समय और प्रदान किया जाता है। इच्छुक अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा स्वयं की SSO ID के माध्यम से पूर्व वरीयता दर्ज करते हुए निम्नाकिंत प्रकिया द्वारा पुनः ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैः–

sso id ⟶ RajKaj ⟶ Employee corner ⟶ Accommodation ⟶ Reapply for accommodation ⟶ Form Filling ⟶ Submit

आवंटियों द्वारा पुनः ऑनलाईन आवेदन नही करनें की स्थिति में आवंटी को आवास आवंटन का इच्छुक न मानते हुए राजकीय आवास आवंटन नहीं किया जावेगा।

कृपया सभी अधिकारियो व कार्मिको को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करे।

25/6/21

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
3. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल